तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	सं० 3 व 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। बकुलाम उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड एवं पेशशुदा राजीनामा का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से पाया वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहीत में स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि :- **आदेश** तन ग्राम बामणवास प० ह० दूधवालों का बास तहसील बस्सी(?) अवस्थित कृषि भूमि ख०नं० 183, 184 रकबा 2.86 हे० से प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज हिस्सा से प्रतिवादी सं० 1 का नाम हजफ किया जाकर उक्त हिस्सा का वादीगण को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा कृषि भूमि ख०नं० 179, 20 रकबा 3.59 हे० में प्रतिवादी सं० 1 व 2 के नाम दर्ज हिस्सा से प्रतिवादी सं० 1 व 2 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तन ग्राम नेहरों की ढाणी प०ह० टोंमल(?) तहसील बस्सी(?) अवस्थित कृषि भूमि ख०नं० 184, 334 ता 340, 342 ता 346, 354 ता 360 रकबा 13.59 हे० में प्रतिवादी सं० 2 के नाम दर्ज हिस्सा 3/64 से प्रतिवादी सं० 2 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर-बराबर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा कृषि भूमि ख०नं० 501 ता 503 रकबा 3.84हे. में वादीगण के नाम दर्ज हिस्सा से वादीगण का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी सं०1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा कृषि भूमि ख०नं० 264 ता 267 रकबा 2.35हे. में वादीगण के नाम दर्ज हिस्सा से वादीगण का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी सं०2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	03/05/2019	
	(महीपाल सिंह) RAS सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला	
	सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)	

Scanned by CamScanner